

वकील उन्निहित। वकील उन्निहित। जवाब
देने एक और करार-पत्र है। करार
दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28/04/22 को
पेश हो।

प्रति

बहायक कलेक्टर, गुडामालानी

28/4/22

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त हैं। अतः इत्तबा होकर
पत्रावली आइन्दा 28/4/22 को पेश हो।

28/4/22

पत्रावली काठ पेश हुई। दोनों पक्षों के
वकील उन्निहित। वकील उन्निहित। जवाब देने
एक और करार-पत्र है। करार दिया
जाता है पत्रावली दिनांक 28/04/22 को
पेश हो।

प्रति

बहायक कलेक्टर, गुडामालानी

29/4/22

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त हैं। अतः इत्तबा होकर
पत्रावली आइन्दा 29/4/22 को पेश हो।

13/4/22

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त हैं। अतः इत्तबा होकर
पत्रावली आइन्दा 13/4/22 को पेश हो।

25/7/22


पत्रावली काठ पेश हुई। वकीलों व वकीलों के वकील
उन्निहित। वकीलों व वकीलों के वकील को कोर्ट
समक्ष के तीन बार तीन-तीन कार्यों दिनांक 25/7/22 को, वाक्य
शर्तों दिनांक के अनुषंग। जहाँ उक्त उक्त
उक्त वकीलों की कानून दृष्टी व कानून पेश की
के लक्षित दिनांक 25/7/22 को पत्रावली दिनांक 25/7/22
होकर शांति स्वर हो।



प्रति

बहायक कलेक्टर, गुडामालानी

सेवामें,



श्रीमान् सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) महोदय,
गुड़ामालानी जिला बाङमेर।

वादीगण :-

1. खीयाराम पुत्र भभूता उम्र 57 वर्ष
2. मोहनलाल पुत्र भभूता उम्र 46 वर्ष
3. गुली पत्नी भभूता उम्र 88 वर्ष जाति विश्नोई निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाङमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. हापू वल्द आदु उम्र 90 वर्ष जाति विश्नोई निवासी पनावली ग्राम पंचायत बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाङमेर।
2. तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 148, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

महोदयजी,

वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार है :-

1. कि वादीगण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 202, 203, 216/1, 217/1 रकबा क्रमशः 11-14, 1-00, 22-04, 13-01 बीघा कुल रकबा 47-19 बीघा किस्म बारानी सोयम, चा. चार., चा. चार, बारानी दोयम का ग्राम बेरीगांव पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है।
2. कि वादीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा बेरीगांव के खसरा नम्बर 202, 203, 216/1, 217/1 रकबा क्रमशः 11-14, 1-00, 22-04, 13-01 बीघा कुल रकबा 47-19 बीघा किस्म बारानी सोयम, चा. चार., चा. चार, बारानी दोयम की भूमि के चारों तरफ बाड़ की हुई है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के काश्त की हुई है, जिसमें वादीगण की रहवासी ढाणियां बनी हुई है वादीगण अपने परिवार बाल-बच्चों सहित निवास कर रहा है।

खीयाराम

(अधिकृत वादीगण)